

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं जय खण्ड अधिकारी, पाली मुकाम पाली

प्रार्थी:-

बनाम अप्रार्थीगण:-

तहसीलदार (भूमिधारक), पाली

1. कस्तुरराम वगैरह

किस्म मुकदमा- राजस्व विविध मु.नं. 02/2021

अन्तर्गत धारा 136,131 रा.भू.रा. अधिनियम, 1956

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो इस हुकम की तामील में जारी हुई।
07-06-2021	<p>राजस्व रेकर्ड एवं तरमीम दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। चूंकि डिजिटाइजेशन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के कारण प्रकरण की प्रकृति के मध्यनजर तहसीलदार पाली की बहस सुनी गई। बाद सुनने बहस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटाइजेशन हेतु संचालित डिजिटल इण्डिया भू.अ. आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अन्तर्गत जमाबंदी, नक्शा स्थिति की अनुरूपता के लिए मौके एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम भावनगर पटवार मण्डल सुन्देलाव तहसील पाली के ख.नं. 182/4 के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद बाबत तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में पटवार हल्का सुन्देलाव की रिपोर्ट एवं भू.अ.नि. कूरना एवं तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर विभाजन / एकीकरण करने के आदेश दिये जाते हैं एवं खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया जो शामिल मिशल हो। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवायी जावें।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


सहायक कलेक्टर
पाली